*DR Krishnadeo kumar bharti*
*Assistant professor (G.T )*
*Dept of Political science*
*C.M.j College Donwarihat*
*Khutauna, Madhubani*
*Email---Kdkbharti08@gmail.com*
*B.A.Part-- 2Paper--3Date-27-07-2020*
*Mo.No--9234999361.*

मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं?भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है।

अधिकार किसी भी प्रजातंत्रिक राज्य की आधारशिला है।यह वह गुण है जिसके कारण राज्य की शक्ति के प्रयोग में नैतिकता का समावेश होता है और वह नागरिकों के आर्दश एवं सुखमय जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है

भारतीय संविधान एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कामना करता है।यह कामना उसी समय सम्भव हो सकता है जब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित व्यवस्था उपस्थित हो।अतः राज्य का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में पूर्ण सहयोग दे।इसलिए संविधान ने व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मूल अधिकारों को प्रदत्त किया है क्योंकि इन अधिकारों के बिना नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। इनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति की सर्वतोमुखी उन्नति रुक जा सकती है।इस तरह मौलिक अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं।

संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हुआ। इसके बाद फ्रांस के संविधान में कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था हुई और फिर कालान्तर में आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रूस आदि देशों के संविधान में।

भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार निम्न हैं-----

*1.* समानता का अधिकार----मूल अधिकारों की सूची में इसे प्रधामिकता प्रदान की गई है।इसका वर्णन संविधान की *14* वीं से *18* वीं धाराओं में है।फिर इसको पाँच अलग अलग विभागों में विभक्त किया गया है---
क.कानून के समक्ष समता।
ख.सामाजिक समता।
ग.अस्पृश्यता का अन्त।
घ.सार्वजनिक पदों की प्राप्ति मे अवसर की समानता।
ड.उपाधियों का अन्त।

*2.*स्वतंत्रता का अधिकार-----भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, अत: संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है।इस सम्बन्ध में अनुच्छेद *19* सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।इसके द्वारा नागरिकों को सात स्वतंत्रताएँ प्रदान की गयी हैं--
१.विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
२.अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता।
३.समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता।
४.भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता
५.भारत राज्य में अबाध निवास की स्वतंत्रता।
६.सम्पत्ति के अर्जन,धारण और व्यय की स्वतंत्रता
७.वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता।

इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदान की गयी उपर्युक्त स्वतंत्रताएँ असीमित नहीं है और इनमें से प्रत्येक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा इन प्रतिबन्धों की आलोचना की गयी थी।

*3.*शोषण के विरुद्ध अधिकार------मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण के अधिकार को संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है।इस प्रकार का अधिकार *22*वीं से *24*वीं धाराओं के द्वारा प्रदत्त किया गया है।जैसे-क.बेकारी प्रथा का अन्त और मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है।संविधान के द्वारा वे अपराध घोषित कर दिया गया है।ख.बच्चों की रक्षा का अधिकार--*14* वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे खतरनाक काम लिया जाना अपराध करार दिया गया है।इस बच्चों से कारखाने या खान में काम नहीं लिया जा सकता है।वस्तुत: शोषण के विरुद्ध अधिकार का वास्तविक उद्देश्य एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

*4.*धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार------संविधान की धारा *24* से *28* में नागरिकों की धार्मिक अधिकार की स्वतंत्रता दी गयी है।देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म में विश्वास करने का अधिकार दिया गया है। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।राज्य न तो धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकता है और न किसी धर्म को आर्थिक सहायता ही प्रदान कर सकता है।इस तरह से यह अधिकार इस प्रकार है--क.किसी भी धर्म को मानने उसका आचरण तथा प्रचार करने का अधिकार सभी को है।ख.नागरिकों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है।ग.नागरिकों को धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी तरह का कर देना नहीं पड़ेगा।

*5.* सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार----संविधान की दो धाराएँ *29* और *30* के अनुसार नागरिकों को अपनी संस्कृति और भाषा को विकसित एवं संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है।*29* वीं धारा के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, साहित्य और संस्कृति को बनाए रखने तथा विकसित करने का अधिकार है।*30* वीं धारा के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका समुचित प्रबन्ध करने का अधिकार है।राज्य धर्म अथवा भाषा के आधार पर सहायता प्रदान करने में कोई भेद भाव नहीं करेगा।

*6.*सम्पत्ति का अधिकार----संविधान में *31* वीं धारा सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित है।यह अधिकार बहुत ही विवादास्पद अधिकार है।इसमें तीन संशोधन भी हो गये लेकिन आज भी कठनाई बनी हुई है।यू तो इस अधिकार के द्वारा नागरिकों की नीजी सम्पत्ति रखने का अधिकार है।राज्य किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति तब तक छीन नहीं सकता जब तक उसे ऐसा करने के लिए कानून द्वारा अधिकार न मिल जाय।लेकिन, सार्वजनिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर यह कब्जा कर सकता है, इस स्थिति में राज्य को उचित मुआवजा देना पड़ेगा।परन्तु मुआवजे की राशि को,भारतीय संविधान के *25* वें संशोधन अधिनियम,*1971* के अनुसार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

*7.*संवैधानिक उपचारों का अधिकार----संविधान की *32* वीं धारा के अनुसार नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार दिया गया है।इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति या संस्था नागरिकों के मूल अधिकारों का अपहरण करता है तो वह अपने इस अधिकार के रक्षार्थ न्यायालय की शरण ले सकता है।न्यायालय इन अधिकारों के रक्षार्थ तरह तरह के आज्ञा-पत्र निर्देश आदेश या लेख जारी कर सकता है।इन लेखों का रूप बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेक्षण आदि कुछ हो सकता है।

आगे, धन्यवाद।

*2020-07-27*
*© From vivo Note*

*Scanned with CamScanner*